इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च 2018—फाल्गुन 11, शक 1939

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.

(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.

(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

क्र. ए-190 जबलपुर, दिनांक 6 फरवरी 2018

भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 सहपठित सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) की धारा 122 एवं धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स, 2006 को अधिक्रमित करते हुए, उक्त संहिता की धारा

89 के अधीन मध्यस्थता के लिए न्यायालय के बाहर विवाद का समाधान करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है जिसका पूर्व प्रकाशन उक्त संहिता की धारा 122 के द्वारा यथाअपेक्षित अंतर्गत मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 4(ग) दिनांक 21 जुलाई, 2017 में किया गया है, अर्थात :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मध्यस्थता नियम, 2016 है।

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.–**

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "संहिता" से अभिप्रेत है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5),

(ख) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं के वही अर्थ होंगे जो संहिता में समनुदेशित किए गए हैं।

3. **मध्यस्थता केन्द्र के कृत्य .–**मध्यस्थता केन्द्र के निम्नलिखित कृत्य होंगे:–

(1) मध्यस्थता केन्द्र को निर्दिष्ट कार्य की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित मध्यस्थों का एक पैनल संधारित करना।

(2) मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट हुए मामले की प्राप्ति होने पर, मध्यस्थता केन्द्र का समन्वयक किसी ऐसे मध्यस्थ को मामला सौंप सकेगा, जो मध्यस्थता केन्द्र द्वारा संधारित मध्यस्थों के पैनल में से मामले की कार्यवाही करने में सर्वाधिक उपयुक्त हो।

(3) मध्यस्थता केवल निर्दिष्ट विवाद के मुद्दों तक ही सीमित नहीं रहेगे तथा मध्यस्थ किसी प्रकरण के पक्षकारों के मध्य ऐसे विवादों को विचार में ले सकेगा जो लंबित मुकदमें का विषय नहीं है, तथा वह पक्षकारों के मध्य समस्त विवादों का निपटारा कर सकेंगे।

(4) मध्यस्थता के दौरान, पक्षकारों के अधिवक्ता भी मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

(5) समुचित मामलों में, मध्यस्थता केन्द्र, व्यापक एवं पूर्ण हल निकालने के प्रयोजन हेतु लंबित मुकदमे में सम्मिलित व्यक्तियों से भिन्न, किसी क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ सहित अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को भी मध्यस्थता के लिए आमंत्रित कर सकेगा।

(6) यदि मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट विवाद के किसी पक्षकार को नियुक्त किए गए मध्यस्थ के संबंध में कोई आपत्ति हो तो, वह मध्यस्थता केन्द्र को सूचित करेगा एवं किसी ऐसे मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रयास करेगा जो समस्त पक्षकारों को स्वीकार्य हों।

4. मध्यस्थ की नियुक्ति.—

(1) न्यायालय से उपाबद्ध मध्यस्थता में, मध्यस्थता केन्द्र का समन्वयक उसे मध्यस्थ नियुक्त करेगा जिसे कि वह उपयुक्त समझे।

(2) आपवादिक मामलों में, न्यायालय भी किसी ऐसे मध्यस्थ की नियुक्ति कर सकेगा, जिसका न तो नियम 5 में निर्दिष्ट, मध्यस्थों के पैनल में से होना अनिवार्य है और न ही नियम 6 में निर्दिष्ट अर्हताएं रखता हो, किन्तु वह ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिये जो नियम 7 में निर्दिष्ट निरर्हताओं से ग्रस्त है।

5. मध्यस्थों का पैनल.—

(1) उच्च न्यायालय केवल उन्हीं व्यक्तियों को मध्यस्थ के रूप में सूचीबद्ध करेगा जिनके पास नियम 6 में उपदर्शित अनिवार्य अर्हताएं हों तथा मध्यस्थता केन्द्रों के साथ सूचीबद्ध ऐसे मध्यस्थों की एक सूची तैयार की जानी चाहिये।

(2) जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय मध्यस्थता समिति के अनुमोदन से, अर्ह मध्यस्थों का एक पैनल भी तैयार करेगा।

(3) नियम 4 के उपनियम (1) तथा (2) के अधीन यथा नियुक्त समस्त मध्यस्थ सामान्यतः नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष की कालावधि के लिए सूचीबद्ध किए जाएंगे तथा उसका कार्यकाल आगे बढ़ाया जाना उच्च न्यायालय की मध्यस्थता समिति के विवेकाधिकार पर होगा।

6. नियम 5 के अधीन सूचीबद्ध व्यक्तियों की अर्हताएं.—

निम्नलिखित व्यक्ति मध्यस्थों के रूप में प्रशिक्षण के लिए पात्र होंगे:—

(1) (क) भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश;

(ख) उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश;

(ग) सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश या समतुल्य हैसियत के न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश;

(घ) उच्चतर न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारी।

(2) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या समतुल्य हैसियत के स्तर पर बार में कम से कम 10 वर्षों तक स्थायी विधि व्यवसायी।

(3) कम से कम पन्द्रह वर्षों तक स्थायी रूप से कार्य करने वाले विशेषज्ञ अथवा अन्य व्यवसायी या सेवानिवृत्त वरिष्ठ नौकरशाह या सेवानिवृत्त वरिष्ठ कार्यपालक।

7. व्यक्तियों की निर्हरता.—

निम्नलिखित व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलत होने के लिए निरर्ह समझे जाएंगे,—

(एक) कोई व्यक्ति जो न्यायनिर्णीत दिवालिया हो अथवा विकृतचित्त घोषित किया गया हो।

(दो) कोई व्यक्ति जिसके विरूद्ध किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से अंतर्वलित करने वाले आपराधिक आरोप विरचित किए गए हैं और लंबित हों ; या

(तीन) कोई व्यक्ति जो किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से अंतर्वलित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो।

(चार) कोई व्यक्ति जिसके विरूद्ध किसी समुचित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाहियां आरंभ की गई हों, जो कि लंबित है या जिसका परिणाम दण्ड रहा हो।

(पांच) कोई व्यक्ति जो किसी विवाद (विवादों) की विषय—वस्तु से हितबद्ध अथवा संसक्त है या पक्षों में से किसी एक से या जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे संबंधित है, जब तक ऐसी आपत्ति को समस्त पक्षकारों द्वारा लिखित में अधित्यजित न कर दिया गया हो।

(छह) कोई विधि व्यवसायी जो किसी भी पक्षकार की ओर से बाद में, या अन्य कार्यवाही (कार्यवाहियों) में उपस्थित है या हो रहा है।

8. पैनल में जोड़ा या हटाया जाना.—

मध्यस्थों द्वारा सम्पादित कार्य का समय—समय पर मूल्यांकन किया जाएगा। उच्च न्यायालय अथवा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उच्च न्यायालय मध्यस्थता समिति के पूर्व अनुमोदन से किसी व्यक्ति को समय—समय पर, उनके/उसके विवेक से मध्यस्थों के पैनल में जोड़ा या हटाया जा सकेगा।

9. अधिमानता.—

समन्वयक, नियम 5 में निर्दिष्ट मध्यस्थों के पैनल से किसी व्यक्ति का नामनिर्देशन करते समय, उसके विवादों के समाधान निकालने की योग्यता पर विचार करेगा और उसे अधिमानता देगा जिनके पास सफलतापूर्वक मध्यस्थता करने का सिद्ध अभिलेख हों अथवा मध्यस्थता करने की विशेष अर्हता या अनुभव हो:

परन्तु मध्यस्थ मध्यस्थता की कार्यवाही हेतु अपने नामनिर्देशन को किसी अधिकार के रूप में नहीं समझेंगे। इस प्रकार ऐसा नामनिर्देशन मध्यस्थता केन्द्र के समन्वयक के विवके पर होगा।

10. **कतिपय तथ्यों को प्रकट करने के लिए मध्यस्थ के कर्तव्य.–**

(1) जब किसी व्यक्ति से मध्यथ के रूप में उसकी प्रस्तावित नियुक्ति के संबंध में संपर्क किया जाता है, तब वह उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करने वाली किसी परिस्थिति को प्रकट करेगा।

(2) प्रत्येक मध्यस्थ उसकी नियुक्ति के समय से और मध्यस्थता की कार्यवाहियों की निरंतरता के दौरान, अविलंब, उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी परिस्थिति के विद्यमान होने के बारे में पक्षकारों को बताएगा।

11. **नियुक्ति का प्रत्याहरण.–**

नियम 9 के अधीन मध्यस्थ द्वारा जानकारी दिये जाने पर अथवा पक्षकारों या अन्य व्यक्तियों से कोई अन्य जानकारी प्राप्त होने पर, उस न्यायालय को जिसमें वाद या कार्यवाही लंबित है अथवा मध्यस्थता केन्द्र के समन्वयक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी जानकारी से मध्यस्थ की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता पर युक्तियुक्त सन्देह उत्पन्न हुआ है, तो वह मध्यस्थ की नियुक्ति वापस ले सकेगा और अन्य मध्यस्थ की नियुक्ति कर सकेगा।

12. **मध्यस्थता प्रक्रिया.–**

(1) समस्त सिविल तथा आपराधिक शमनीय मामले, मुकदमेबाजी के दौरान मध्यस्थता के लिए, न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकेंगे।

(2) मध्यस्थता प्रक्रिया में निर्दिष्ट मामले के निपटारे को सुकर बनाने हेतु मध्यस्थ द्वारा सामान्यतया अनुसरित किए जाने वाली पद्धति का अनुसरण कर निर्देशों के साथ– साथ मध्यस्थ द्वारा उठाए गए कदम समाविष्ट होंगे, इसमें प्रस्तावना, आंरभिक कथन, संयुक्त सत्र, पृथक सत्र और समापन सम्मिलित हैं किन्तु सीमित नहीं है।

(3) समझौता होने में असफलता, मामले की मध्यस्थता के लिए, न्यायालय को पुनः निर्देश करने से नहीं रोकेगी।

(4) निर्दिष्ट विवाद के निपटारे के असफल हो जाने की दशा में मध्यस्थ, रिपोर्ट द्वारा मध्यस्थता केन्द्र को सूचित करेगा और मध्यस्थता केन्द्र का समन्वयक, उक्त के बारे में न्यायालय को सूचित करेगा।

13. **मध्यस्थ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा आबद्ध नहीं है.–**

मध्यस्थ, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 द्वारा आबद्ध नहीं होगा किन्तु वे पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों, व्यापार की प्रथा को यदि कोई हों, और विवाद (विवादों) की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्षता और न्यायसंगत सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होंगे।

14. **पक्षकारों की उपस्थिति.–**

पक्षकार साधारणतया मध्यस्थ द्वारा अधिसूचित सत्र में व्यक्तिगत रूप से या नियुक्त प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होंगे। वे ऐसे सत्र में मध्यस्थ की अनुमति के साथ किसी अधिवक्ता द्वारा भी प्रतिनिधित्व कर सकेंगे।

15. नियत तारीखों पर सत्र में पक्षकारों के अनुपस्थित रहने के परिणाम.—

यदि कोई पक्षकार मध्यस्थ द्वारा अधिसूचित सत्र में जानबूझकर या अपनी स्वेच्छा से उपस्थित होने में असफल रहता है तो अन्य पक्षकार या मध्यस्थ उस न्यायालय को आवेदन कर सकेंगे जिसमें वाद या प्रक्रिया लंबित है, उस दशा में न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समुचित निर्देशों को जारी कर सकेगा।

16. प्रशासनिक सहायता.—

मध्यस्थता कार्यवाहियों के संचालन को सुकर बनाने के लिए, पक्षकार या मध्यस्थ पक्षकारों की सहमति से, उपयुक्त संस्था या व्यक्ति द्वारा प्रशासनिक सहायता के लिए व्यवस्था कर सकेगा।

17. मध्यस्थ की भूमिका.—

मध्यस्थ, पक्षकारों द्वारा विवादों के स्वैच्छिक समाधान को सुकर बनाने हेतु प्रयास करेगा। वह समस्याओं को समझने, मूलभूत विवाद्यक की पहचान करने, भ्रम को कम करने, विकल्प सृजित करने और विकल्प बनाने में उनकी सहायता करेगा, जोकि पारस्परिक रूप से दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य हो।

18. निर्णय लेने के लिये केवल पक्षकार उत्तरदायी होंगे.—

पक्षकारों को यह समझाया जाएगा कि मध्यस्थ केवल विवादों को सुलझाने के लिए किसी निर्णय पर पहुंचने में सहायता करता है और वह न तो कोई समझौता अधिरोपित करेगा और न कर सकता है और न ही मध्यस्थ कोई आश्वासन करता है कि मध्यस्थता कोई समझौते का परिणाम होगा। मध्यस्थ, पक्षकारों पर कोई विनिश्चय अधिरोपित नहीं करेगा।

19. मध्यस्थता की समाप्ति के लिए समय सीमा.—

पक्षकारों के मध्यस्थ के समक्ष प्रथम बार उपसंजात होने के लिए नियत तारीख से नब्बे दिन के अवसान पर मध्यस्थता समाप्त हो जाएगी, सिवाय इसके कि उस न्यायालय की दृष्टि में, जिसने मामला निर्दिष्ट किया है, या तो स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के निवेदन पर, और सभी पक्षकारों की सुनवाई करने पर, इसके समय का विस्तार आवश्यक या उपयोगी न हो; किन्तु ऐसा विस्तार तीस दिन की कालावधि से अधिक का नहीं होगा।

20. पक्षकारों का सद्भावपूर्वक कार्य करना.—

समस्त पक्षकार विवाद/विवादों के समाधान की संभावना के आशय से सद्भावपूर्वक कार्यवाहियों में भाग लेगा।

21. जानकारियों की गोपनीयता, प्रकटीकरण और अग्राहयता.—

(1) जब मध्यस्थ को किसी पक्षकार से विवाद के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त होती है तो, वह अन्य पक्षकार को उस जानकारी का सार बताएगा, जिससे कि अन्य पक्षकार को ऐसा स्पष्टीकरण जैसा कि वह उचित समझे, प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो सके :

परन्तु जब पक्षकार मध्यस्थ को इस विशिष्ट शर्त के अध्यधीन जानकारी देता है कि इसे गुप्त रखा जाए, तब मध्यस्थ अन्य पक्षकार को जानकारी प्रकट नहीं करेगा।

(2) मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के दौरान मध्यस्थ द्वारा कोई दस्तावेज प्राप्त करने पर अथवा अवलोकन करने पर या मौखिक रूप से प्राप्त जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा और मध्यस्थ को न तो दस्तावेज या अभिलेख या मौखिक जानकारी को और न ही वो जानकारी जो उसे मध्यस्थता के दौरान पता चली हो, को प्रकट करने के लिये बाध्य किया जाएगा।

(3) पक्षकार, मध्यस्थता के दौरान पता चली घटनाओं के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेंगे और किसी भी कार्यवाही में उक्त जानकारी पर निर्भर नहीं रहा जाएगा या प्रस्तुत नहीं की जाएगी, जैसे कि:—

(एक) मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पक्षकारों द्वारा अभिव्यक्त विचार;

(दो) मध्यस्थता के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज जिन्हें गोपनीय रूप में रखे जाने की अपेक्षा अभिव्यक्त रूप से की गई थी या अन्य टिप्पणियां अथवा प्रारूप या पक्षकारों द्वारा मध्यस्थ को दी गई जानकारी;

(तीन) मध्यस्थ द्वारा रखे गए प्रस्ताव या अभिव्यक्त विचार;

(चार) मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पक्षकारों द्वारा की गई संस्वीकृति;

(पांच) यह तथ्य कि किसी पक्षकार ने प्रस्ताव स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की थी अथवा नहीं की थी।

(4) मध्यस्थता कार्यवाहियों की कोई भी आशुलिपीय या श्रव्य या दृश्य रिकार्डिंग नहीं की जाएगी।

(5) कोई मध्यस्थ अपने व्यक्तिगत उपयोग हेतु मध्यस्थता की प्रगति के संबंध में निजी अभिलेख संधारित कर सकेगा।

22. **गोपनीयता.–**

मध्यस्थता सत्र पूर्ण गोपनीय रूप से संचालित किया जाएगा और केवल संबंधित पक्षकार या उनके अधिवक्ता या मुख्तारनामा धारक उपस्थित हो सकेंगे। अन्य व्यक्ति केवल पक्षकारों की सहमति से तथा मध्यस्थ की अनुमति से ही सम्मिलित हो सकेंगे।

23. **उन्मुक्ति.–**

कोई भी मध्यस्थ मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान उसके द्वारा सद्भावनापूर्वक किए गए किसी कार्य अथवा किसी कार्य को करने में हुई चूक के कारण सिविल या आपराधिक कार्यवाही के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा और न तो, वाद अथवा कार्यवाही के किसी पक्षकार के द्वारा उसे मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान उसको प्राप्त जानकारी के संबंध में अथवा उसके द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में अथवा उसके द्वारा तैयार किए गए या उसको दिखाए गए किसी प्रारूप या अभिलेख के संबंध में साक्ष्य देने हेतु न्यायालय में उपस्थित होने के लिये समन किया जाएगा।

24. **न्यायालय तथा मध्यस्थ के बीच संसूचना.–**

(1) न्यायालय में पक्षकारों के विश्वास तथा मध्यस्थ की तटस्थता बनाए रखने के लिए इस नियम के उपनियम (2) तथा (3) में यथाकथित के सिवाए, न्यायालय तथा मध्यस्थ के मध्य किसी संसूचना का आदान–प्रदान नहीं होना चाहिए।

(2) यदि मध्यस्थ तथा न्यायालय के मध्य कोई संसूचना आवश्यक हो तो, यह लिखित में होगी तथा उसकी प्रति पक्षकारों को या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि या अधिवक्ताओं को दी जाएगी।

(3) मध्यस्थ तथा न्यायालय के बीच समस्त संसूचनाएं केवल मध्यस्थ द्वारा तथा निम्नलिखित मामलों के संबंध में दी जाएगी,–

(क) पक्षकार या पक्षकारों के उपस्थित होने में असफलता;

(ख) मध्यस्थ का मत कि प्रकरण मध्यस्थता के माध्यम से समझौता हेतु उपयुक्त नहीं है; या

(ग) पक्षकारों के बीच हुए विवाद/विवादों का समझौता।

25. **समझौता अनुबंध .–**

(1) जहां पक्षकारों के मध्य, विवाद या कार्यवाही के सम्बन्ध में समस्त विवाद्यक या किन्हीं विवाद्यकों पर कोई अनुबंध हुआ है तो उसे लेखबद्ध किया जाएगा एवं सभी पक्षकारों अथवा उनके नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। यदि कोई अधिवक्ता पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करता है तो, मध्यस्थ समझौता अनुबंध पर उसके हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा।

(2) पक्षकारों द्वारा इस प्रकार हस्ताक्षरित अनुबंध मध्यस्थता केन्द्र के समन्वयक को प्रस्तुत किया जाएगा जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित कवरिंग लेटर के साथ उसी न्यायालय को अग्रेषित किया जाएगा जिसमें कि वाद अथवा कार्यवाही लंबित है।

(3) जहां पक्षकारों के मध्य कोई अनुबंध नहीं हो पाया है या जहां मध्यस्थ का यह विचार हो कि कोई समझौता होना संभव नहीं है तो वह समन्वयक, मध्यस्थता केन्द्र को इसकी लिखित रिपोर्ट भेजेगा, जो उसे उसके द्वारा हस्ताक्षरित कवरिंग लेटर के साथ उस न्यायालय को अग्रेषित करेगा जिसमें वाद या कार्यवाही लम्बित है।

26. **न्यायालय समझौते को अभिलिखित करेगा और डिक्री पारित करेगा.–**

(1) समझौता अनुबंध की प्राप्ति पर, यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि पक्षकारों ने अपना विवाद स्वेच्छापूर्वक निपटा लिया है, तो न्यायालय समझौते के आधार पर उचित आदेश/डिक्री पारित कर सकेगा, यदि वह कपट संधिपूर्ण/अवैध/अव्यवहार्य नहीं पाया जाता है। तथापि, यदि समझौता केवल मामले में उद्भूत होने वाले कतिपय विवाद्यकों का निपटारा करता है, तो न्यायालय, मध्यस्थता में निपटाए गए विवाद्यकों के संबंध में समझौता अभिलिखित कर सकेगा और अन्य विवाद्यक जो नहीं निपटाए गए हैं, को विनिश्चित करने के लिए आगे कार्यवाही कर सकेगा।

(2) न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के संबंध में पक्षकारों के बीच समझौता अंतिम होगा।

27. मध्यस्थ का शुल्क.—

(1) मध्यस्थ को निम्नानुसार मानदेय संदत्त किया जाएगा :—

अनुक्रमांक	प्रकरण की प्रकृति	मानदेय
(1)	(2)	(3)
1.	वैवाहिक मामले (आपराधिक को सम्मिलित करते हुए) अभिरक्षा संरक्षकत्व, प्रोबेट, विभाजन और कब्जे, मध्यस्थता के माध्यम से समझौता होने पर	3,000/—रूपए प्रति प्रकरण (दो या अधिक संबद्ध मामलों में, अधिकतम 4,000/—रूपए होगा)
2.	समस्त अन्य मामलों में	2,000/—रूपए प्रति प्रकरण (दो या अधिक संबद्ध मामलों में, अधिकतम 3,000/—रूपए होगा)
3.	सम्बद्ध प्रकरण	500 रूपए प्रति प्रकरण, अधिकतम 1000/—रूपए के अध्यधीन (सम्बद्ध प्रकरणों की संख्या को ध्यान में रखे बिना)
4.	समझौता नहीं होने की दशा में	मानदेय 1000/—रूपए प्रति प्रकरण (सम्बद्ध प्रकरणों की संख्या को ध्यान में रखे बिना)

यह माननीय अध्यक्ष द्वारा समय--समय पर पुनरीक्षण के अध्यधीन है और जैसा कि एम सी पी सी के सदस्यों द्वारा उचित समझा जाए।

(2) तथापि आपवादिक प्रकरणों में न्यायालय, न्यायालय द्वारा मनोनीत मध्यस्थ/मध्यस्थों के शुल्क के रूप में समेकित रकम नियत कर सकेगा।

(3) प्रत्येक पक्षकार अपने अपने साक्षियों तथा विशेषज्ञों को पेश करने के साथ ही दस्तावेजों को पेश करने के खर्च भी वहन करेगा।

28. मध्यस्थ हेतु नीति तथा आचरण संहिता.—

मध्यस्थ इन नियमों का अनुसरण तथा अनुपालन कड़ाई से तथा सम्यक् तत्परता से करेगाः—

(1) मध्यस्थ किसी अशोभनीय आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(2) मध्यस्थता की प्रक्रिया में ईमानदारी तथा निष्पक्षता को बनाए रखेगा।

(3) यह सुनिश्चित करेगा कि मध्यस्थता में सम्मिलित पक्षकारों को उचित रूप से सूचना हो और मध्यस्थता कार्यवाही संबंधी प्रक्रिया के पहलुओं की पर्याप्त समझ हो।

(4) पक्षकारों के साथ संवाद करते समय किसी अनौचित्य भाषा के प्रयोग अथवा अनौचित्य प्रदर्शन से बचेगा।

(5) मध्यस्थ को ऐसे मामलों में मध्यस्थता करने से बचना चाहिए जहां वे विवाद के परिणाम से उनका सीधा व्यक्तिगत, व्यावसायिक अथवा वित्तीय हित हो। यदि मध्यस्थ कोई अप्रत्यक्ष हित रखता है तो वह ऐसे अप्रत्यक्ष हित को पक्षकारों को यथासंभव शीघ्र प्रकट करने के लिए आबद्ध है और वह ऐसे मामले में तब तक मध्यस्थता नहीं करेगा जब तक पक्षकार ऐसे अप्रत्यक्ष हित के बावजूद भी उसे ऐसे मध्यस्थ के रूप में स्वीकार करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से सहमत न हो।

(6) जहां मध्यस्थ एक अधिवक्ता है, वह ऐसे विवाद के संबंध में पक्षकारों के लिए उपसंजात नहीं होगा जिसमें उसने मध्यस्थता की हो।

(7) मध्यस्थों का यह कर्तव्य है कि वह उनकी क्षमता एवं योग्यता की सीमा को जाने जिससे कि वह ऐसे कर्तव्य भार लेने से बचे जिन्हें वे ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाएं।

(8) मध्यस्थों का कर्तव्य है कि वे पूरी मध्यस्थता में तटस्थ बने रहें।

(9) मध्यस्थों को मध्यस्थता की स्वैच्छिक प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और किसी भी प्रक्रम में मध्यस्थता को वापस लेने से पक्षकारों के अधिकार को मान्य करना चाहिए।

(10) मध्यस्थता की प्रकृति गोपनीय होने से, मध्यस्थ उसे गोपनीयता रखने के प्रति वफादार रहेगा।

(11) मध्यस्थ का यह कर्तव्य है कि वह पक्षकारों को उनके विवाद के निपटारे के बारे में उन्हें उनके व्यक्तिगत तथा सामूहिक विनिश्चिय लेने के लिए प्रोत्साहित करे न कि अपने स्वयं के विचार उन पर अधिरोपित करे। स्वनिर्णय ही मध्यस्थता प्रक्रिया का सार है।

(12) विवाद का निपटारा संसूचित सहमति के आधार पर होना चाहिए।

(13) विधि के अनुसार विवादों के समाधान के संबंध में समस्त कार्यवाहियां संचालित करना।

(14) मध्यस्थ को परिणामों के लिए वादा करने या आश्वासन देने से विरत रहना चाहिए।

29. नियम 28 के भंग के परिणाम.—

समन्वयक, उच्च न्यायालय मध्यस्थता समिति के अनुमोदन से ऐसी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा जैसी कि समुचित हो, यदि मध्यस्थ नियम 28 में अभिव्यक्त किसी आचरण संहिता का अतिक्रमण करता हो या ऐसा व्यवहार करता हो जो मध्यस्थ के रूप में उससे अपेक्षित रीति में नहीं है।

रजिस्ट्रार जनरल,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय

No. A-190

In exercise of the powers conferred by article 225 of the Constitution of India read with section 122 and section 128 of the Code of Civil Procedure, 1908 (No.5 of 1908) and in suppression of the Civil Procedure Mediation Rules, 2006, the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules regarding settlement of disputes outside the court for mediation under section 89 of the said Code, the same having been previously published as required by section 122 of the said Code in the Madhya Pradesh Gazette Part 4 (c) dated 21st July, 2017, namely:-

Rules

1. **Short title and commencement.-**

   (1) These rules shall be called the Madhya Pradesh Mediation Rules, 2016.

   (1) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definition.-** In these rules, unless the context otherwise requires:-

   (a) 'Code' means the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908);

   (b) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Code.

3. **Function of the Mediation Centre.-The following shall be the functions of the mediation centre:-**

   (1) To maintain a panel of trained Mediators sufficient in number to meet the requirement of the work referred to the Mediation Centre.

(2) On receipt of the matter by way of referral for mediation, the Coordinator of the Mediation Centre may assign the matter to any mediator who is best suited to deal with the matter from the panel of mediators maintained by the Mediation Centre.

(3) The Mediation shall not be limited only to the issues in the referred dispute and the Mediator may take into account the disputes between the parties to a case which are not the subject of the pending litigation, and may resolve all disputes between the parties.

(4) During the mediation, counsel for the parties may also participate in the mediation process.

(5) In appropriate cases, the Mediation Centre may invite any person/persons, other then those who are involved in the pending litigation to join the Mediation for the purpose of finding comprehensive.and complete solutions including an expert pertaining to any field.

(6) If any party to the dispute referred to Mediation has any objection to the mediator assigned to it, the said party shall inform the Mediation Centre and it shall endeavor to appoint a Mediator who may be acceptable to all the parties.

4. **Appointment of Mediator.-**

(1) In a Court annexed mediation, the coordinator of the mediation centre shall appoint the mediator as he may deem fit.

(2) In exceptional cases, the Court may also appoint a mediator who is not necessarily from the panel of Mediators referred to in Rule 5 nor bear the qualifications referred to in Rule 6 but should not be a person who suffers from the disqualifications referred to in Rule 7.

5. **Panel of Mediators.-**

(1) The High Court shall empanel only those persons as mediators who have necessary qualifications as indicated in Rule 6 and a list of such mediators empanelled with the mediation centre should be prepared.

(2) The District Court shall also prepare a panel of qualified Mediators with the approval of the High Court Mediation Committee.

(3) All the mediators as appointed under sub-rule (1) and (2) of rule 4 shall normally be on the panel for a period of 3 years from the date of appointment and further extension of their tenure shall be at the discretion of High Court Mediation Committee.

6. **Qualifications of persons to be empanelled under Rule 5.-**

The following persons shall be eligible for training as Mediators,-

(1) (a) Retired Judges of the Supreme Court of India,

(b) Retired Judges of the High Court;

(c) Retired District and Sessions Judges or retired Judges of the Courts of equivalent status.

(d) Judicial Officers of Higher Judicial Service

(2) Legal practitioners with at least 10 years' standing at the bar at the level of the Supreme Court or the High Court or the District Court or equivalent status.

(3) Experts or other professionals with at least fifteen years' standing or retired senior bureaucrats or retired senior executives.

7. **Disqualification of persons.-**

The following persons shall be deemed to be disqualified for being empanelled as mediators,-

(i) Any person who has been adjudged as insolvent or is declared of unsound mind;

(ii) any person against whom criminal charges involving moral turpitude are framed by a criminal court and are pending; or

(iii) any person who has been convicted by a criminal court for any offence involving moral turpitude.

(iv) any person against whom disciplinary proceedings have been initiated by the appropriate disciplinary authority which are pending or have resulted in a punishment.

(v) any person who is interested or connected with the subject-matter of dispute(s) or is related to any one of the parties or to those who represent them, unless such objection is waived by all the parties in writing.

(vi) any legal practitioner who has or is appearing for any of the parties in the suit or in other proceedings(s).

8. Addition to or deletion from panel.-

There shall be periodical assessment of the performance of the Mediators. The High Court or the District and Sessions Judge with prior approval of the High Court Mediation Committee may in its/his discretion, from time to time, add or delete any person in the panel of mediators.

9. Preference.-

The Coordinator shall, while nominating any person from the panel of mediators referred to in Rule 5, consider his suitability for resolving the dispute(s) involved and shall give preference to those who have proven

record of successful mediation or who have special qualification or experience in mediation:

Provided that nomination to a mediation proceeding shall not be perceived as a right by mediators. Such nomination shall be at the discretion of the Coordinator of the Mediation Centre.

10. Duty of mediator to disclose certain facts.-

(1) When a person is approached in connection with his proposed appointment as mediator, he shall disclose any circumstance likely to give rise to a reasonable doubt as to his independence or impartiality.

(2) Every Mediator shall from the time of his appointment and throughout continuance of the mediation proceedings, without delay, disclose to the parties, about the existence of any circumstance referred to in sub-rule (1).

11. Withdrawal of appointment.-

Upon information furnished by the mediator under Rule 9 or upon any other information received from the parties or other persons, if the Court, in which the suit or proceeding is pending or the coordinator of the Mediation Centre, is satisfied, that the said information has raised a reasonable doubt as to the mediator's independence or impartiality, he may withdraw the appointment and appoint another mediator.

12. Mediation process.-

(1) All civil and criminal compoundable matters, may be referred to mediation during the course of litigation, by the Court.

(2) The mediation process will comprise of reference as well as the steps taken by the mediator to facilitate the settlement of a referred matter by following the structure usually followed, including but not limited to introduction and opening statement, joint session, separate sessions(s) and closing.

(3) Failure to arrive at a settlement would not preclude the Court from making fresh reference of the matter for mediation.

(4) In case of failure of resolution of the referred dispute, the Mediator shall inform the Mediation Centre, by a report and the Co-coordinator of the Mediation Centre shall inform regarding the same to the Court.

13. Mediator not bound by Indian Evidence Act, 1872 or Code of Civil Procedure, 1908.-

The mediator shall not be bound by the Code of Civil Procedure, 1908 or the Indian Evidence Act, 1872, but shall be guided by the principles of fairness and justice, having regard to the rights and obligations of the parties, usages of trade, if any, and the circumstances of the dispute(s).

14. Presentation of parties.-

The parties shall ordinarily be present personally or through constituted attorney at the sessions notified by the Mediator. They may also be represented by a counsel with permission of the mediator in such sessions.

15. Consequences of non-attendance of parties at sessions on due dates.-

If any party fails to attend a session notified by the mediator on account of deliberate or willful act, the other party or the mediator can apply

to the Court in which the suit or | proceeding is pending, in that case the Court may issue the appropriate directions having regard to the facts and circumstances of the case.

16. Administrative assistance.-

In order to facilitate the conduct of mediation proceedings, the parties, or the mediator with the consent of the parties, may arrange for administrative assistance by a suitable institution or person.

17. Role of Mediator.-

The mediators shall attempt to facilitate voluntary resolution of the dispute(s) by the parties. He shall assist them in understanding the problems, identifying the underlying issues, reducing misunderstandings, generating the options and developing option which are mutually acceptable to both the parties.

18. Parties alone responsible for taking decision.-

The parties shall be made to understand that the mediator only facilitates in arriving at a decision to resolve dispute(s) and that he will not and cannot impose any settlement nor does the mediator give any assurance that the mediation will result in a settlement. The mediator shall not impose any decision on the parties.

19. Time limit for completion of mediation.-

On the expiry of Ninety days from the date fixed for the first appearance of the parties before the mediator, the mediation shall stand terminated, unless the Court, which referred the matter, either suo moto, or

upon request by any of the parties, and upon hearing all the parties, is of the view that extension of time is necessary or may be useful; but such extension shall not be beyond a further period of thirty days.

20. Parties to act in good faith.-

All the parties shall commit to participate in the proceedings in good faith with the intention to settle the dispute (s), if possible.

21. Confidentiality, disclosure and inadmissibility of information.-

(1) when a mediator receives factual information concerning the dispute from any party, he shall disclose the substance of that information to the other party, so that the other party may have an opportunity to present such explanation as it may consider appropriate:

Provided that, when a party gives information to the mediator subject to a specific condition that it be kept confidential, the mediator shall not disclose the information to the other party.

(2) Receipt or perusal of any document by the mediator or receipt of information orally by the mediator while serving in that capacity, shall be confidential and the mediator shall not be compelled to divulge information regarding the document or record or oral information nor as to what transpired during the mediation.

(3) Parties shall maintain confidentiality in respect of events that transpired during the mediation and shall not rely on or introduce the said information in any proceeding as to-

(i) views expressed by a party in the course of the mediation proceeding;

(ii) documents produced during the mediation which were expressly required to be treated as confidential or other notes or drafts or information given by the parties to the mediators.

(iii) proposal made or views expressed by the mediator.

(iv) admission made by a party in the course of mediation proceeding.

(v) the fact that a party had or had not indicated willingness to accept a proposal.

(4) There shall be no stenographic or audio or video recording of the mediation proceedings.

(5) A mediator may maintain personal record regarding progress of the mediation for his personal use.

22. Privacy.-

The mediation sessions shall be conducted in complete privacy and only the concerned parties or their counsels or power of attorney holders may attend. Other persons may attend only with the consent of the parties and permission of the mediator.

23. Immunity.-

No mediator shall be held liable for anything bonafidely done or omitted to be done by him during the mediation proceedings for civil or criminal action nor shall he be summoned by any party to the suit or proceeding to appear in a Court of Law to testify in regard to information received by him or action taken by him or in respect of drafts or records prepared by him or shown to him during the mediation proceedings.

24. Communication between mediator and the Court.-

(1) In order to preserve the confidence of parties in the Court and the neutrality of the mediator, there should be no communication between the mediator and the Court, except as stated in sub-rule (2) and (3) of this Rule.

(2) If any communication between the mediator and the Court is necessary, it shall be in writing and copies of the same shall be given to the parties or their constituted attorneys or the counsel.

(3) All communication between the mediator and the Court shall be made only by the mediator and in respect of the following matters,-

(a) the failure of a party or parties to attend;

(b) the mediator's assessment that the case is not suited for settlement through mediation; or

(c) settlement of dispute or disputes arrived at between parties.

25. Settlement agreement.-

(1) Where an agreement is reached between the parties with regard to all the issues in the suit or proceeding or some of the issues, the same shall be reduced to writing and signed by the parties or their constituted attorney. If any counsel has represented the parties, the mediator may obtain his signature on the settlement agreement.

(2) The agreement of the parties so signed shall be submitted to the Coordinator, Mediation Centre, who shall, with a covering letter signed by him forward the same to the Court in which the suit or proceeding is pending.

(3) Where no agreement is arrived at between the parties or where the mediator is of the view that no settlement is possible, he shall report

the same in writing to the Coordinator, Mediation Centre, who shall, with a covering letter signed by him forward the same to the Court in which the suit or proceeding is pending.

26. Court to record settlement and pass decree.-

(1) On receipt of settlement agreement, if the Court is satisfied that the parties have settled their disputes voluntarily, the Court may pass appropriate order/decree on the basis of settlement, if the same is not found collusive/illegal/unworkable. However, if the settlement disposed of only certain issues arising in the matter, the Court may record settlement in respect of the issues settled in the mediation and may proceed to decide other issue which are not settled.

(2) Settlement between the parties shall be final in respect of the proceedings pending before the Court.

27. Fee of Mediator.-

(1) The mediator shall be paid honorarium as under:-

S. No.	Nature of case	Honorarium
(1)	(2)	(3)
1.	On settlement through mediation of a matrimonial case (including criminal), custody guardianship, probate, partition and possession.	Rs.3,000/- per case (with two or more connected cases, the maximum would be Rs.4,000/-)
2.	All other matters	Rs.2,000/- per case (with two or more connected cases, the maximum would be Rs.3,000/-)

(1)	(2)	(3)
3.	Connected case	Rs.500/- per case subject to a maximum of Rs. 1,000/- (regardless of the number of connected cases)
4.	In case of no settlement	Rs. 1,000/- honorarium per case, (regardless of the number of connected cases)

It is subject to revision by the Hon'ble Chairman and time to time as deemed fit by Members of MCPC.

(2) However, in exceptional cases the Court may fix consolidated amount as fee of the Court nominated mediator / Mediators.

(3) Each party shall bear the cost of production of their witnesses and experts, as also for production of documents.

28. Ethics and code of conduct for mediator.-

The Mediator shall follow and observe these Rules strictly and with due diligence.

(1) Not indulge in conduct unbecoming of a mediator.

(2) Up hold the integrity and fairness of the mediation process.

(3) ensure that the parties involved in the mediation are fairly informed and have an adequate understanding of the procedural aspects of the mediation process.

(4) While communicating with the parties avoid any impropriety or appearance of impropriety.

(5) The mediator must avoid mediating in cases where they have direct personal, professional or financial interest in the outcome of the dispute. If the mediator has any indirect interest, he is bound to disclose to the parties such indirect interest at the earliest opportunity and he shall not meditate in the case unless the parties specifically agree to accept him as mediator, despite such indirect interest.

(6) Where the mediator is an advocate, he shall not appear for any of the parties in respect of the dispute which he had mediated.

(7) Mediators have a duty to know the limits of their competence and ability in order to avoid taking on assignments which they are not equipped to handle.

(8) Mediators have a duty to remain neutral throughout the mediation.

(9) Mediators must respect the voluntary nature of mediation and must recognize the rights of the parties to withdraw from the mediation at any stage.

(10) Mediation being confidential in nature, a mediator shall be faithful to the confidentiality reposed in him.

(11) Mediator has a duty to encourage the parties to make their own decisions both individually and collectively about the resolution of the dispute, rather than imposing his own ideas on the parties. Self determination is the essence of the mediation process.

(12) Settlement of dispute must be based on informed consent.

(13) Conduct all proceeding relating to the resolution of dispute in accordance with the law.

(14) Mediator must refrain from promises or guarantee of results.

29. Consequences of breach of Rule 28.-

It shall be open to the Coordinator to take such action with the approval of the High Court Mediation Committee as may be appropriate if the mediator violates any code of conduct expressed in Rule 28 or behaves in a manner not expected of him as a Mediator.

Registrar General
High Court of Madhya Pradesh

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.